

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
बलिया, सीतापुर तथा इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक 23 जून, 2008

विषय: राजस्व विभाग द्वारा कय की गई मोटर बोट की मरम्मत हेतु बनायटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय बाढ़ राहत कार्य की तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत आपदा राहत निधि के लिए लागू प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन राजस्व विभाग द्वारा कय की गई मोटर बोट की मरम्मत हेतु निम्नांकित धनराशि आपके निर्वहन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	जनपद का नाम	आवृत्त धनराशि
1	बलिया	137505/- (रु० एक लाख सैंतीस हजार पांच सौ पांच मात्र)
2	सीतापुर	45200/- (रु० पैंतालीस हजार दो सौ मात्र)
3	इलाहाबाद	175830/- (रु० एक लाख पचहत्तर हजार आठ सौ तीस मात्र)
	कुल योग	3,58,535/- (रु० तीन लाख अठ्ठावन हजार पांच सौ पैंतीस मात्र)

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृति धनराशि राजस्व विभाग द्वारा कय की गई मोटर बोट की मरम्मत पर ही व्यय की जायेगी। उक्त मोटर बोट की मरम्मत का कार्य स्थानीय स्तर पर विद्युत यात्रिक डिपोजन, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण/भौतिक कार्य विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड कराना सुनिश्चित किया जाय।

5. शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को समर्पित कर दिया जाय।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0 को0 टण्डन)

राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या -3181(1)/1-10-2008-14(23)/2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, आजमगढ़, लखनऊ तथा इलाहाबाद।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, बलिया, सीतापुर एवं इलाहाबाद।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग -6/11/वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव